

**न्यायालय अवर न्यायाधीश, गोगरी
आदेश**

बार बार पुकार पर वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। बहुत दिनों से इस वाद में वादी की ओर से कोई पैरवी भी नहीं की गई है। अतः वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित

अवर न्यायाधीश